आदेश पत्र

13/5/24 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित
वादी का वाद में स्वीकार किया जाता
विरुद्ध प्रतिवादी [illegible] जारि
पत्रावली [illegible]
[illegible]
पत्रावली [illegible]

सहायक कलक्टर [illegible]
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
71/2025	08.04.2025	13.05.2026

बउनवान

1. रोशन खां पुत्र फूलसिंह
2. रहीस खां उर्फ रहीम खां पुत्र फूलसिंह
3. अख्तर पुत्र मटरी
4. असरू खां पुत्र फूलसिंह
5. आजाद खां पुत्र मोहरसिंह
6. राहुल खान
7. जाहुल खान पुत्रान आसमोहम्मद पुत्र मटरी
8. हंसीरा
9. अफसाना पुत्रीयन आसमोहम्मद पुत्र मटरी
10. रोशनी पत्नी आसमोहम्मद पुत्र मटरी
11. आसीनी पुत्री मोहरसिंह
12. ईसाक पुत्री रहीम खां
13. उन्नसखा पुत्री रहीन खां
14. कमरू खां पुत्र फूलसिंह
15. कालेखां पुत्र मोहरसिंह
16. शेर मोहम्मद पुत्र जैनखां
17. सरीफन
18. इकबाल
19. आबिद पुत्रान सिरदार खान पुत्र जैन खां
20. अनिषा पुत्री सिरदार खान
21. इरफान पुत्र महबूब पुत्र जैन खां
22. साजिद पुत्री महबूब
23. रसिदान पत्नी महबूब
24. कासम पुत्र जैन खां
25. सरमुद्दीन पुत्र जैन खां
26. इसलाम पुत्र जैन खां
27. आसदीन पुत्र जैन खां
28. साहुन पुत्र जैन खां
29. महमूदी
30. सूसा पुत्रीयान जैन खां
31. डब्लू खां पुत्र रहीम खां (फौत)

31/1 रहमती (पत्नी)
31/2 आरिफ खान (पुत्र)
31/3 वारिस खान (पुत्र)
31/4 मुफीद खान (पुत्र)

32. फरमीना पुत्र रसूल खां
33. बुद्धी पुत्री मोहरसिंह

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

34. बसकर पुत्री रसूल खां
35. बस्वी पत्नी रसूल खां
36. रत्ती खान पुत्र मोहरसिंह
37. शिताबी पुत्री मोहरसिंह
38. सद्दीक पुत्र रसूल खां
39. सपात खां पुत्र मोहरसिंह
40. समसूदीन पुत्र रहीम खां
41. सरीफ खान पुत्र मोहरसिंह
42. सायरा पुत्री मोहरसिंह
43. हुसैनी पुत्री मोहरसिंह
44. हाकमदीन पुत्र रहीम खां
45. हारून खां पुत्र रहीम खां जाति मेव निवासी बिरटोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील — श्री पृथ्वीसिंह यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आ0 हाल ख0न0 143 रकबा 0.57 हैक्0, 144 रकबा 0.46 हैक्0, 148 रकबा 0.06 हैक्0, 149 रकबा 0.37 हैक्0, 150 रकबा 0.01 हैक्0, 151 रकबा 0.65 हैक्0, 152 रकबा 0.15 हैक्0, 153 रकबा 0.75 हैक्0, 167 रकबा 0.63 हैक्0, 237 रकबा 0.42 हैक्0, 260 रकबा 0.38 हैक्0, 261 रकबा 0.38 हैक्0, 263 रकबा 0.28 हैक्0, 264 रकबा 0.28 हैक्0, 265 रकबा 0.27 हैक्0, 271 रकबा 0.57 हैक्0, 272 रकबा 0.29 हैक्0, 273 रकबा 0.29 हैक्0, 290 रकबा 0.27 हैक्0, 292 रकबा 0.48 हैक्0, 297 रकबा 0.19 है40, 298 रकबा 0.08 है0, 299 रकबा 0.25 हैक्0, 300 रकबा 0.27 हैक्0, 301 रकबा 0.07 है0, 302 रकबा 0.04 है0, 302/371 रकबा 0.05 हैक्0, 303 रकबा 0.17 है0, 304 रकबा 0.11 हैक्0, 305 रकबा 0.06 है0, 307 रकबा 0.01 है0, 308 रकबा 0.20 हैक्0, 309 हैक्0, 313 रकबा 0. 22 रकबा 0.16 हैक्0, 311 रकबा 312 रकबा 0.01 हैक्०, 340 रकबा 0.56 हैक्0, 353 रकबा 0.01 हैक्0, 354 रकबा 0.37 है0, 355 रकबा 0.01 हैक्0, 356 रकबा 0.37 हैक्0, 357 रकबा 0.01 है40, 358 रकबा 0.69 हैक्0, 359 रकबा 0.05 हैक्0, 360 रकबा 0.26 हैव0, 361 रकबा 0.26 हैक्0, 362 रकबा 0.01 हैक्0, 363 रकबा 0.66 हैव0, 364 रकबा 0.21 हैक्0, 366 रकबा 0.51 हैक्० कुल किता 50, कुल रकबा 13.63 है0, वाके ग्राम बिरटोली तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित है जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) ... खैरथल-तिजारा

2. यह है कि उक्त हाल ख0न0 143 रकबा 0.57 हैक०, का साबिक ख०न० 105 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा, हाल ख0न0 144 रकबा 0.46 है०, का साबिक ख0न0 106 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, हाल ख0न0 148 रकबा 0. 06 है0, का साबिक ख0न0 110 मिन. रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा हाल ख0न0 149 रकबा 0.37 हैक०, का साबिक 110 मिन, हाल ख0न0 150 रकबा 0. 01 हैक०, का साबिक ख0न0 110 मिन., हाल ख0न0 151 रकबा 0.65 हैक०, का साबिक ख0न0 110 मिन, हाल ख0न0 152 रकबा 0.15 हैक०, का साबिक ख0न0 111 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, हाल ख0न0 153 रकबा 0.75 हैक०, का साबिक ख0न0 111 मिन, हाल ख0न0 167 रकबा 0.63 हैक०, का साबिक ख0न0 124 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, हाल ख०न० 237 रकबा 0.42 हैक०, साबिक ख0न0 163 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, हाल ख०न० 260 रकबा 0.38 हैक०, का साबिक ख0न0 179/1 रकबा 0.38 हैक, हाल ख0न0 261 रकबा 0.38 है0, का साबिक ख0न0 179/2 रकबा 0.38 हैक०, हाल ख0न0 263 रकबा 0.28 हैक०, का साबिक ख०न० 181/1 रकबा 0.28 हैक०, हाल ख.न. 264 रकबा 0.28 हैक०, का साबिक ख0न0 181/2 रकबा 0.28 है0, हाल ख0न0 265 रकबा 0.27 हैक०, का साबिक ख0न0 182 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, हाल ख0न0 271 रकबा 0.57 हैक०, का साबिक ख0न0 187 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, हाल ख0न0 272 रकबा 0.29 हैक०, का साबिक ख0न0 188/2 रकबा 0.29 है0, हाल ख0न0 273 रकबा 0.29 है0, का साबिक ख0न0 188/1 रकबा 0.29 हैक०, हाल ख0न0 290 रकबा 0.27 हैक०, का साबिक ख०न० 181/3 रकबा 0.27 है0, हाल ख0न0 292 रकबा 0.48 है0, का साबिक ख०न० 198 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, हाल ख0न0 297 रकबा 0.19 हैक0, का साबिक ख0न0 202 रकबा 17 बिस्वा, हाल ख0न0 298 रकबा 0.08 है0, का साबिक ख0न0 203/1 रकबा 0.08 है0, हाल ख0न0 299 रकबा 0. 25 हैक०, का साबिक ख0न0 203/2 रकबा 0.25 है0, हाल ख०न० 300 रकबा 0.27 है0, का साबिक ख0न0 204 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, हाल ख०न० 301 रकबा 0.07 हैक०, का साबिक ख0न0 205 रकबा 6 बिस्वा, हाल ख०न० 302 रकबा 0.04 हैक०, का साबिक ख0न0 206/2 रकबा 0. 04 हैक०, हाल ख0न0 302/371 रकबा 0.05 है0, का साबिक ख०न० हाल ख0न0 303 रकबा 0.17 हैक०, का साबिक ख0न0 207/1 रकबा 0. 17 है0, हाल ख0न0 304 रकबा 0.11 हैक०, का साबिक ख0न0 207/2 रकबा 0.11 है0, हाल ख०न० 305 रकबा 0.06 है0, का साबिक ख०न० 207/3 रकबा 0.06 है0, हाल ख0न0 307 रकबा 0.01 हैक०, का साबिक ख0न0 209/1 रकबा (सा.न. 308) हाल ख0न0 308 रकबा 0.20 हैक0, का साबिक ख0न0 209/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, हाला ख०न० 309 रकबा 0.16 हैक०, का साबिक ख0न0 0.21 है0, हाल ख0न0 311 रकबा 0. 20 है0, का साबिक ख0न0 210/2 रकबा 0.23 हैक0, हाल ख०न० 312 रकबा 0.01 हैक0, का साबिक ख0न0 210/1 रकबा 0.23 हैक०, हाल ख0न0 313 रकबा 0.22 हैक०, का साबिक ख0न0 210/1 (सा0न0 312) हाल ख0न0 340 रकबा 0.56 है0, का साबिक ख0न0 250/229 रकबा 0. 56 हैक०, हाल ख0न0 353 रकबा 0.01 हैक०, का साबिक ख0न0 0.38 हैक०, हाल ख0न0 354 रकबा 0.37 हैक०, का साबिक ख0न0 233/1 (सा०न० 353) हाल ख0न0 355 रकबा 0.01 हैक०, का साबिक ख०न०

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

233/2 रकबा 0.38 हैक०, हाल ख0न0 356 रकबा 0.37 हैक०, का साबिक ख0न0 233/2 (सा0न0 355) हाल ख0न0 357 रकबा 0.01 है0, का साबिक ख0न0 234 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, हाल ख0न0 358 रकबा 0.69 है0, का साबिक ख0न0 234 (सा0न0 357) हाल ख0न0 359 रकबा 0.05 है0, का साबिक ख0न0 235/3 रकबा 0.05 है0, हाल ख०न० 360 रकबा 0.26 है0, का साबिक ख0न0 235/2 रकबा 0.26 हैक0, हाल ख0न0 361 रकबा 0.26 है0, का साबिक ख0न0 235/1 रकबा 0.26 हैक०, हाल ख0न0 362 रकबा 0.01 है0, का साबिक ख0न0 236 मिन रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, हाल ख0न0 363 रकबा 0.66 हैक०, का साबिक ख0न0 364 रकबा 0.21 हैक०, का साबिक ख0न0 237 रकबा 17 बिस्वा, हाल ख0न0 366 रकबा 0.51 है0 का साबिक ख0न0 239 रकबा 2 बीघा कुल किता 50, कुल रकबा 13.63 है0 उक्त सभी साबिक ख०नम्बरान में मिन वादीगण हिस्से अनुसार मौके पर बिना किसी एतराज व विरोध के शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। इसी प्रकार वादीगण के पूर्वज काबिज काश्त खातेदार है मुलाहिजा के लिए नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 संलग्न है।

यह है कि विवादित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की दादालाई आराजी है जो वादीगण को पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है चूंकि अब तक सभी खातेदारो के के०सी०सी० कार्ड व अन्य सरकारी सुविधा के लाभ मिलते रहे है जिस कारण से वादीगण अपने राजस्व रिकार्ड को सही समझते रहे है लेकिन विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में साकिन देह खातेदार दर्ज है लेकिन उसके आगे उन्ही खातेदारों के पूर्वजो के नाम लिखते हुये अ०वि०व० (शिकमी) दर्ज होने के कारण वादीगण अब किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है के०सी०सी० कार्ड भी नहीं बन पा रहा है जिस किसी का पहले बन गया उसको पुनः ऋण नही मिल रहा है मिन वादीगण अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है जो राजस्व रिकार्ड व सभी कानूनी बाते नही समझ पाते है उक्त त्रुटि को सही करवाने के लिए मिन वादीगण कई बार हल्का पटवारी से मिले, हल्का पटवारी का ऐसे ही बहाना चलता रहा। वादीगण ने ऋण नहीं मिलने व अन्य सुविधा नही मिलने का कारण पूछा तो दिनांक 28/01/2025 को कहा कि उक्त ख०न० के राजस्व रिकार्ड में एक दूसरे सहखातेदार का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है शिकमी शब्द हटाये जाने के बाद ही तुम्हे के०सी०सी० ऋण या कृषक सम्बन्धी अन्य सुविधा मिलने की कार्यवाही हो सकती है दिनांक 8/02/25 को राजस्व रिकार्ड की नकल मिलने के बाद दिनांक 13/02/25 को मिन वादीगण ने दिनांक 15/02/25 को श्रीमान तहसीलदार से सम्पर्क किया तो तहसीलदार मुण्डावर ने अदालत श्रीमान से आदेश कराने को कहा इसलिए अविलम्ब ही अन्य आवश्यक दस्तावेजो की नकल लेकर दावा इस्तकरार हक मय हु०ई० दवामी पेश करना आवश्यक आया है।

4. यह है कि विवादित आ० मिन वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की दादालाई आ० है जिस पर मिन वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। लेकिन हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार शब्द के बाद "अ.वि.व बकाश्त आसमोहम्मद वगैरा पुत्रान मटरी ख0न0 27,31 मी., 331, 144, 167, 165, 303, 305, 364 रोशन खां वगैरा खातेदार बकाश्त जैनखां पुत्र हजारी मेम

सहायक कलक्टर (का०प्र०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

शिकमी साल 20–1/2 ख०प० 143 पर" दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त शिकमी दर्ज कर दिया गया उक्त विवादित ख०नम्बरान के साथ वादीगण का नाम शिकमी के रूप में दर्ज होना कानूनन गलत है जबकि सम्वत 2071–2073 व उससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण स्पष्ट खातेदार दर्ज है शिकमी बाबत उक्त गलत एंट्री होने के कारण मिन वादीगण अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का किसान ऋण व अन्य सरकारी सुविधा से मिलने वाले लाभ की राशि प्राप्त करने से महरूम रह रहे है लेकिन (संम्वत 2072–2075 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में) वादीगण को खातेदार के साथ अ०वि०व० बकाश्त आश मोहम्मद वगैरा पुत्रान मटरी ख०न० 27, 31 मी० 331, 144, 167, 303, 304, 305, 364 रोशन खां वगैरा खातेदार बकाश्त जैनखां पुत्र हजारी मेव शिकमी साल 20–1/2 ख०प० 143 पर) अ.वि.व. के रूप में दर्ज होना मिन वादीगण के हक व अधिकारों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955 के लागु होने के बाद किसी भी शिकमी काश्तकार को कोई खातेदार के अधिकार नही है इसलिए वादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत एंट्री काबिल दुरूस्ती है मिन वादीगण अपनी काब्जे काश्त खातेदारी की आ0 के राजस्व रिकार्ड में बेजा तौर पर दर्ज शिकमी का नाम कलमजन कराकर विवादित आ0 को कब्जे काश्त खातेदार घोषित कराने की आधिकारी है।

5. यह है कि मिन वादीगण विवादित आ० पर मिन वादीगण बिना किसी एतराज व विरोध के मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकन चला आ रहा है गलत अंकन के आधार पर आये दिन मिन वादीगण को परेशानीयों का सामना करना पड रहा है सरकार द्वारा जारी कई योजनाओं का लाभ मिन वादीगण को नही मिल पा रहा है। वादीगण के अधिकार कानूनन सुरक्षित है जो प्रतिवादीगण को जर्ये हु०ई० दवामी पाबंद कराने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे

(अ) यह है कि डिकी इस्तकरारहक मय दुरूस्ती सादिर फरमायी जाकर विवादित आ० हाल ख0न0 143 रकबा 0.57 हैक्0, 144 रकबा 0.46 हैक्0, 148 रकबा 0.06 हैक्0, 149 रकबा 0.37 हैक्0, 150 रकबा 0.01 हैक्0, 151 रकबा 0.65 हैक्0, 152 रकबा 0.15 हैक्0, 153 रकबा 0.75 हैक्०, 167 रकबा 0.63 हैक्0, 237 रकबा 0.42 हैक्0, 260 रकबा 0.38 हैक्0, 261 रकबा 0.38 हैक्0, 263 रकबा 0.28 हैक्0, 264 रकबा 0.28 रकबा 0.57 हैक्0, 272 रकबा 0.29 रकबा 0.27 हैक्0, 292 रकबा 0.48 रकबा 0.08 हैक्0, 299 रकबा 0.25 हैक्0, 265 रकबा 0.27 हैक्0, 271 हैक्0, 273 रकबा 0.29 हैक्0, 290 हैक्0, 297 रकबा 0.19 हैक्0, 298 हैक्0, 300 रकबा 0.27 हैक्0, 301 रकबा 0.07 हैव0, 302 रकबा 0.04 है0, 302/371 रकबा 0.05 हैक्0, 303 रकबा 0.17 हैक्0, 304 रकबा 0.11 हैक्0, 305 रकबा 0.06 हैक्0, 307 रकबा 0.01 हैक्0, 308 रकबा 0.20 हैक्०, 309 रकबा 0.16 हैक्0, 311 रकबा 312 रकबा 0.01 हैक्0, 313 रकबा 0.22 हैक्0, 340 रकबा 0.56 हैक्0, 353 रकबा 0.01 हैक्0, 354 रकबा 0.37 हैक्0, 355 रकबा 0.01 हैक्0, 356 रकबा 0.37 हैक्0, 357 रकबा 0.01 हैक्0, 358 रकबा 0.69 हैक्0, 359

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

एकबा 0.05 हैक्0, 360 एकबा 0.26 हैक्0, 361 एकबा 0.26 हैक्0, 362 एकबा 0.01 हैक्0, 363 एकबा 0.66 हैक्0, 364 एकबा 0.21 हैक्0, 366 एकबा 0.51 हैक्0 कुल किता 50, कुल रकबा 13.63 हैक्0, वाके ग्राम बिरटोली तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज० अपनी कब्जेकाश्त खातेदारी की आ० के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शब्द खातेदार के आगे बेजा तौर पर दर्ज "अ.वि.व बकाश्त आरामोहम्मद वगैरा पुत्रान मटरी ख०न० 27,31 मी. 331, 144, 167, 165, 303, 305, 364 रोशन खां वगैरा खातेदार बकाश्त जैनखां पुत्र हजारी मेम शिकमी साल 20–1/2 ख०प० 143 पर" अर्थात अ०वि०व० समस्त विवरण को हजफ करते हुये शिकमी शब्द को कलमजन किया जाकर विवादित आ० के कब्जे काश्त खातेदार घोषित किया जावे। तथा वादी न0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहीम खां के स्थान पर रहीस खां पुत्र फूलसिंह दर्ज किया जावे।

(ब) यह है कि डिकी हु0 ई0 दवामी सादिर फरमायी जाकर जि०न० 1 में अंकित आ0 हाल ख0 न0 समस्त के बाबत हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

(द) दीगर दादरसी जो बनजदीक श्रीमान उचित समझे सादिर फरमायी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत नही किया गया, इसलिए प्रतिवादी का जबाव बन्द किया जाता है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में पी.डब्लू–1 इकबाल खॉन पुत्र सिरदान खा, पी.डब्लू –2 सम्सू उर्फ समसूदीन पुत्र रहीम खां, पी.डब्लू –3 अख्तर पुत्र मटूरी, पी.डब्लू –4 रोशन खां पुत्र फूल खां, पी.डब्लू –5 सद्दीक पुत्र रसूल खां, पी.डब्लू –6 आजाद खां पुत्र मोहरसिंह, पी.डब्लू –7 इसलाम पुत्र जैन खां ने शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा प्रस्तुत पर प्रदर्श– 1 जमाबन्दी सम्वत 2075 किता–5, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 किता–5, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2071–74, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 किता 3, प्रदर्श– 5 मृत्यु प्रमाण जैन खा, प्रदर्श–6 मृत्यु प्रमाण पत्र महबूब खां, प्रदर्श–7 मृत्यु प्रमाण पत्र छतरो, प्रदर्श–8 मृत्यु प्रमाण पत्र सिरदार मोहम्मद खान, प्रदर्श–10 आधार कार्ड हंसीरा, प्रदर्श–11 आधार कार्ड अपसाना, प्रदर्श– 12 आधार कार्ड राहूल खान, प्रदर्श– 13 आधार कार्ड जाहुल खान, प्रदर्श– 14 आधार कार्ड रोशनी बेगम, प्रदर्श– 15 आधार कार्ड अख्तर, प्रदर्श– 16 आधार कार्ड अनिशा, प्रदर्श– 17 आधार कार्ड साजिदा, प्रदर्श– 18 आधार कार्ड इसलाम, प्रदर्श– 19 आधार कार्ड शेर मोहम्मद, प्रदर्श– 20 आधार कार्ड इकबाल खान, प्रदर्श– 21 आधार कार्ड सम्सूदीन, प्रदर्श– 22 आधार कार्ड बस्सी, प्रदर्श– 23 आधार कार्ड हुसैनी, प्रदर्श– 24 आधार कार्ड कालेखा, प्रदर्श– 25 आधार कार्ड बसकर, प्रदर्श– 26 आधार कार्ड फरमीना, प्रदर्श– 27 आधार कार्ड हसीनी, प्रदर्श– 28 आधार कार्ड रत्ती खां, प्रदर्श– 29 आधार कार्ड सदीक खां, प्रदर्श– 30 आधार कार्ड सपाद खां, प्रदर्श– 31 आधार कार्ड सरीफ खान, प्रदर्श– 32 आधार कार्ड आजाद खान, प्रदर्श– 33 आधार कार्ड सरीपन, प्रदर्श– 34 आधार कार्ड रसीदन, प्रदर्श– 35 आधार कार्ड कासमखान, प्रदर्श– 36 आधार कार्ड इरफान, प्रदर्श– 37 आधार कार्ड वरीसा, प्रदर्श– 38

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

आधार कार्ड सुंसा, प्रदर्श– 39 आधार कार्ड असादीन, प्रदर्श– 40 आधार कार्ड साहुन खान, प्रदर्श– 41 आधार कार्ड आबिद खान, प्रदर्श– 42 आधार कार्ड डल्लू, प्रदर्श– 43 आधार कार्ड उमराखान, प्रदर्श– 44 आधार कार्ड हाकम, प्रदर्श– 45 आधार कार्ड , प्रदर्श– 46 आधार कार्ड सम्सू, प्रदर्श– 47 आधार कार्ड हारून, प्रदर्श– 48 आधार कार्ड रोशन खा, प्रदर्श– 49 आधार कार्ड असरू खां, प्रदर्श– 50 आधार कार्ड रहीस खान, प्रदर्श– 51 आधार कार्ड कमरू किया गया।

वादी पक्ष की संक्षिप्त बहस

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज का है। वादीगण ने अपने वाद पत्र, मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि विवादित आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वज दीर्घकाल से खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है तथा राजस्व अभिलेख में "अ.वि.व./शिकमी" सम्बन्धी अंकन मात्र राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश दर्ज हुआ है।

वादीगण ने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि विवादित समस्त खसरा नम्बरान ग्राम बिरटोली तहसील मुण्डावर स्थित दादालाई खातेदारी भूमि है, जिस पर वादीगण एवं उनके पूर्वज शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे हैं। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071–74 एवं अन्य राजस्व अभिलेखों से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादीगण खातेदार के रूप में दर्ज रहे हैं।

वाद में प्रतिवादी को विधिवत तामील उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण प्रतिवादी का जवाब बन्द किया जा चुका है। अतः वादीगण के कथनों एवं साक्ष्यों का कोई प्रतिवाद या खण्डन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

वादीगण द्वारा पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–7 तक शपथपत्र प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया गया कि विवादित भूमि पर उनका वास्तविक कब्जा एवं खातेदारी अधिकार है। उक्त गवाहों के कथनों का प्रतिपरीक्षण भी नहीं हुआ, अतः उनकी साक्ष्य अप्रतिवादित एवं विश्वसनीय है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 से प्रदर्श–51 तक के दस्तावेज, विशेषकर जमाबन्दियां, मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि से वादीगण की पहचान, उत्तराधिकार एवं खातेदारी स्थिति पूर्णतः प्रमाणित होती है।

राजस्व अभिलेख में "अ.वि.व. बकाश्त शिकमी" सम्बन्धी प्रविष्टि कानूनन त्रुटिपूर्ण एवं निरस्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के पश्चात शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं रहते। अतः खातेदार के साथ शिकमी अंकन किया जाना विधि विरुद्ध है।

उक्त गलत प्रविष्टि के कारण वादीगण को किसान ऋण, के.सी.सी., एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके वैधानिक

सहायक कलक्टर (कार्य०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए राजस्व अभिलेख की दुरूस्ती अत्यन्त आवश्यक है।

वादीगण ने यह भी सिद्ध किया है कि वादी संख्या 2 का सही नाम "रहीस खां पुत्र फूलसिंह" है, जबकि राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश "रहीम खां" अंकित हो गया है, जिसकी दुरूस्ती भी न्यायोचित है।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित समस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में दर्ज "अ.वि.व./शिकमी" सम्बन्धी गलत प्रविष्टि को हटाते हुए वादीगण को कब्जे काश्त खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी संख्या 2 के नाम की दुरूस्ती का आदेश पारित किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे।

संक्षिप्त विवेचन

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत दावा इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती इन्द्राज बाबत प्रस्तुत किया गया। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी की दादालाई भूमि है तथा वे एवं उनके पूर्वज लम्बे समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे हैं। राजस्व अभिलेख में खातेदार के साथ "अ.वि.व. धशिकमी" सम्बन्धी प्रविष्टि त्रुटिवश दर्ज हो गई है, जिसके कारण वादीगण को कृषक ऋण, के.सी.सी. एवं अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त गलत प्रविष्टि हटाकर स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रतिवादी को विधिवत तामील उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उसका जवाब बन्द किया गया। वादीगण द्वारा अपने समर्थन में पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–7 तक शपथपत्र प्रस्तुत किये गये तथा जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त खातेदार हैं तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज "अ.वि.व. धशिकमी" सम्बन्धी प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिवाद अथवा खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का दावा विश्वसनीय एवं स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, विशेषकर जमाबन्दी एवं अन्य अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण विवादित आराजी पर कब्जे काश्त खातेदार हैं तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज "अ.वि.व./शिकमी" सम्बन्धी प्रविष्टि त्रुटिवश अंकित है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के साक्ष्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया। फलतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आ0 हाल ख0न0 143 रकबा 0.57 है0, 144 रकबा 0.46 है0, 148

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

रकबा 0.06 हैक्0, 149 रकबा 0.37 हैक्0, 150 रकबा 0.01 हैक्0, 151 रकबा 0.65 हैक्0, 152 रकबा 0.15 हैक्0, 153 रकबा 0.75 हैक्०, 167 रकबा 0.83 हैक्0, 237 रकबा 0.42 हैक्0, 260 रकबा 0.38 हैक्0, 261 रकबा 0.38 हैक्0, 263 रकबा 0.28 हैक्0, 264 रकबा 0.28 रकबा 0.57 हैक्0, 272 रकबा 0.29 रकबा 0.27 हैक्0, 292 रकबा 0.48 रकबा 0.08 हैक्0, 299 रकबा 0.25 हैक्0, 265 रकबा 0.27 हैक्0, 271 हैक्0, 273 रकबा 0.29 हैक्0, 290 हैक्0, 297 रकबा 0.19 हैक्0, 298 हैक्0, 300 रकबा 0.27 हैक्0, 301 रकबा 0.07 हैक्0, 302 रकबा 0.04 है0, 302/371 रकबा 0.05 हैक्0, 303 रकबा 0.17 हैक्0, 304 रकबा 0.11 हैक्0, 305 रकबा 0.06 हैक्0, 307 रकबा 0.01 हैक्0, 308 रकबा 0.20 हैक्०, 309 रकबा 0.16 हैक्0, 311 रकबा 312 रकबा 0.01 हैक्0, 313 रकबा 0.22 हैक्0, 340 रकबा 0.56 हैक्0, 353 रकबा 0.01 हैक्0, 354 रकबा 0.37 हैक्0, 355 रकबा 0.01 हैक्0, 356 रकबा 0.37 हैक्0, 357 रकबा 0.01 हैक्0, 358 रकबा 0.69 हैक्0, 359 रकबा 0.05 हैक्0, 360 रकबा 0.26 हैक्0, 361 रकबा 0.26 हैक्0, 362 रकबा 0.01 हैक्0, 363 रकबा 0.66 हैक्0, 364 रकबा 0.21 हैक्0, 366 रकबा 0.51 हैक्0 कुल किता 50, कुल रकबा 13.63 हैक्0, वाके ग्राम बिरटोली तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 के राजस्व अभिलेख में खातेदार के आगे दर्ज "अ.वि.व./शिकमी" सम्बन्धी प्रविष्टि को कलमजन किया जावें, साथ ही वादी संख्या 2 का नाम "रहीम खां" के स्थान पर "रहीस खां पुत्र फूलसिंह" दर्ज किया जाना आदेशित किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
71/2025	08.04.2025	13.06.2025

बउनवान

1. रोशन खां पुत्र फूलसिंह
2. रहीस खां उर्फ रहीम खां पुत्र फूलसिंह
3. अख्तार पुत्र मटरी
4. असरू खां पुत्र फूलसिंह
5. आजाद खां पुत्र मोहरसिंह
6. राहुल खान
7. जाहुल खान पुत्रान आसमोहम्मद पुत्र मटरी
8. हंसीरा
9. अफसाना पुत्रीयन आसमोहम्मद पुत्र मटरी
10. रोशनी पत्नी आसमोहम्मद पुत्र मटरी
11. आसीनी पुत्री मोहरसिंह
12. ईसाक पुत्री रहीम खां
13. उन्नसखा पुत्री रहीन खां
14. कमरू खां पुत्र फूलसिंह
15. कालेखां पुत्र मोहरसिंह
16. शेर मोहम्मद पुत्र जैनखां
17. सरीफन
18. इकबाल
19. आबिद पुत्रान सिरदार खान पुत्र जैन खां
20. अनिषा पुत्री सिरदार खान
21. इरफान पुत्र महबूब पुत्र जैन खां
22. साजिद पुत्री महबूब
23. रसिदान पत्नी महबूब
24. कासम पुत्र जैन खां
25. सरमुद्दीन पुत्र जैन खां
26. इसलाम पुत्र जैन खां
27. आसदीन पुत्र जैन खां
28. साहुन पुत्र जैन खां
29. महमूदी
30. सूसा पुत्रीयान जैन खां
31. डब्लू खां पुत्र रहीम खां (फौत)

31/1 रहमती (पत्नी)
31/2 आरिफ खान (पुत्र)
31/3 वारिस खान (पुत्र)
31/4 मुफीद खान (पुत्र)

32. फरमीना पुत्र रसूल खां
33. बुद्धी पुत्री मोहरसिंह

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

29. महमूदी

34. बसकर पुत्री रसूल खां
35. बस्वी पत्नी रसूल खां
36. रत्ती खान पुत्र मोहरसिंह
37. शिताबी पुत्री मोहरसिंह
38. सद्दीक पुत्र रसूल खां
39. सपात खां पुत्र मोहरसिंह
40. समसूदीन पुत्र रहीम खां
41. सरीफ खान पुत्र मोहरसिंह
42. सायरा पुत्री मोहरसिंह
43. हुसैनी पुत्री मोहरसिंह
44. हाकमदीन पुत्र रहीम खां
45. हारून खां पुत्र रहीम खां जाति मेव निवासी बिरटोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— वादीगण

बनाम

1. **श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

—: प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>—: पर्चा डिक्री :—</u>

वादी की ओर से **श्री पृथ्वी सिंह यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 13.05.2025** को **सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :—**

विवादित आ0 हाल ख0न0 143 रकबा 0.57 हैक0, 144 रकबा 0.46 हैक0, 148 रकबा 0.06 हैक0, 149 रकबा 0.37 हैक0, 150 रकबा 0.01 हैक0, 151 रकबा 0.65 हैक0, 152 रकबा 0.15 हैक0, 153 रकबा 0.75 हैक०, 167 रकबा 0.63 हैक0, 237 रकबा 0.42 हैक0, 260 रकबा 0.38 हैक0, 261 रकबा 0.38 हैक0, 263 रकबा 0.28 हैक0, 264 रकबा 0.28 रकबा 0.57 हैक0, 272 रकबा 0.29 रकबा 0.27 हैक0, 292 रकबा 0.48 रकबा 0.08 हैक0, 299 रकबा 0.25 हैक0, 265 रकबा 0.27 हैक0, 271 हैक0, 273 रकबा 0.29 हैक0, 290 हैक0, 297 रकबा 0.19 हैक0, 298 हैक0, 300 रकबा 0.27 हैक0, 301 रकबा 0.07 हैव0, 302 रकबा 0.04 है0, 302/371 रकबा 0.05 हैक0, 303 रकबा 0.17 हैक0, 304 रकबा 0.11 हैक0, 305 रकबा 0.06 हैक0, 307 रकबा 0.01 हैक0, 308 रकबा 0.20 हैक०, 309 रकबा 0.16 हैक0, 311 रकबा 312 रकबा 0.01 हैक0, 313 रकबा 0.22 हैक0, 340 रकबा 0.56 हैक0, 353 रकबा 0.01 हैक0, 354 रकबा 0.37 हैक0, 355 रकबा 0.01 हैक0, 356 रकबा 0.37 हैक0, 357 रकबा 0.01 हैक0, 358 रकबा 0.69 हैक0, 359 रकबा 0.05 हैक0, 360 रकबा 0.26 हैक0, 361 रकबा 0.26 हैक0, 362 रकबा 0.01 हैक0, 363 रकबा 0.66 हैक0, 364 रकबा 0.21 हैक0, 366 रकबा 0.51 हैक0 कुल किता 50, कुल रकबा 13.63 हैक0, वाके ग्राम बिरटोली तह० मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा राज0 के राजस्व अभिलेख में खातेदार के आगे दर्ज "अ.वि.व./शिकमी" सम्बन्धी

सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रविष्टि को कलमजन किया जावें, साथ ही वादी संख्या 2 का नाम "रहीम खां" के स्थान पर "रहीस खां पुत्र फूलसिंह" दर्ज किया जाना आदेशित किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज०

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)